आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 764 से 767/ इंदौर /2018
तथा आ.अ.सं. 770/इंदौर/2018
निर्धारण वर्ष : 2004-05 से 2007-08 तथा 2010-11

श्री जय नारायण चौकसे, भोपाल	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त, 2 (1), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एसीवाईपीसी 2632 ए		

अपीलार्थी की ओर से	श्री हितेश चिमनानी, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	श्रीमती अशिमा गुप्ता, आयकर आयुक्त
सुनवाई तिथि	14.08.2020
उद्घघोषणा तिथि	14.08.2020

आदेश

न्यायपीठ द्वारा

निर्धारण वर्ष 2004-05 से 2007-08 तथा 2010-11 के लिए निर्धारिती द्वारा ये अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-1, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधार पर दाखिल की गई है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती ने कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत आवेदन किया था तथा आयकर विभाग द्वारा स्वीकृति के पश्चात देय करों का भुगतान भी निर्धारिती द्वारा कर

दिया गया है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपीलों का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपीलों को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इन अपीलों को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इन्हें वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं ।

यह आदेश 14.08.2020 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-
(कुल भारत)
न्यायिक सदस्य

हस्ता/-
(मनीष बोरड)
लेखा सदस्य

दिनांक : 14.08.2020

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल